



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड



केंद्रीय रोजगार सूचना आरपीएफ 02/2024 (कॉनस्टेबल) के सभी उम्मीदवार, जिनके "आवेदन स्वीकृत" किए गए हैं, जो विशिष्ट जातियों से संबंधित रखते हैं, लेकिन जिन्होंने प्रस्तुत ऑन लाइन आवेदन में जाति का उल्लेख अनुसूचित जाति के रूप में किया है, उन्हें ई-मेल के माध्यम से नवीनतम समुदाय और जाति प्रमाण पत्र भेजने हेतु नोटिस

सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष सूचना, जिनके आवेदन सीईएन आरपीएफ 02/2024 (कॉनस्टेबल) के लिए (अनंतिम / सशर्त) स्वीकार किए गए हैं और (ए) मूल रूप से पान (PAN) / सवासी (Sawasi)/ पानर (PANR) / तांती - ततवा (TANTI – TATWA) जातियों से संबंधित हैं एवं (बी) बिहार राज्य से संबंधित हैं या केवल बिहार राज्य से (अस्थायी रूप से / स्थायी रूप से) छोड़ कर चले गए हैं तथा (सी) उनके ऑनलाइन आवेदन में 'समुदाय' फ़्रील्ड में एससी समुदाय के रूप में भी उल्लेख किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में:

डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य एवं अन्य के बीच सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या 18802/2017, निर्णय दिनांक 15.07.2024.

1. जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन में अपना समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में उल्लेख किया है और साथ ही (ए) मूल रूप से पान / सवासी / पानर / तांती-ततवा जाति से संबंधित हैं और (बी) बिहार राज्य से संबंधित हैं या केवल बिहार राज्य (अस्थायी रूप से / स्थायी रूप से) छोड़कर चले गए हैं, उन्हें नीचे उल्लिखित तरीके से निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए:

ए. उम्मीदवारों को दि.01.09.2024 को या उसके बाद जारी अपने नवीनतम जाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

बी. ओबीसी-एनसीएल (नॉन क्रीमी लेयर) श्रेणी के तहत उम्मीदवार (तांती-ततवा जाति से संबंधित) पर विचार करने के लिए, वे बिहार राज्य सरकार के सक्षम राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जा रहे 'फॉर्म VII क' के अनुसार जाति प्रमाण पत्र या अन्य राज्यों में समतुल्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनी होगी, जो सीईएन आरपीएफ 02/2024 (कॉनस्टेबल) के अनुलग्नक - II के बराबर भी है।

- सी. स्कैन की गई प्रति पीडीएफ प्रारूप में होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए।
- डी. ईमेल में निम्नलिखित विवरण भी शामिल होने चाहिए: आवेदन पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर, सीईएन नंबर, पुराना समुदाय एवं जाति, और संशोधित समुदाय तथा जाति।
- ई. आरआरबी/सिकंदराबाद के अधिकारिक ईमेल आईडी **'asrrb@scr.railnet.gov.in'** पर अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से अपेक्षित विवरण भेजना चाहिए।
- एफ. अपने पंजीकृत ईमेल के माध्यम से उपर्युक्त ईमेल आईडी पर स्व-सत्यापित स्कैन किए गए नवीनतम समुदाय और जाति प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **30-03-2025 (23:59 बजे)** को या उससे पहले है।

सभी उम्मीदवार जिन्होंने नवीनतम समुदाय और जाति प्रमाण पत्र जमा किया है, उनकी संशोधित जाति / समुदाय के अनुसार भर्ती के आगले चरणों के लिए विचार किया जाएगा।

2. यदि ऐसे उम्मीदवारों में से कोई भी इस नोटिस का जवाब नहीं देता है और 01.09.2024 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपना स्वयं सत्यापित स्कैन किया हुआ नवीनतम जाति प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् **30.03.2025** तक नहीं भेजते हैं, तो उन्हें बाद में ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित समुदाय (अनुसूचित जाति (एससी)) के अनुसार भर्ती के आगले चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनिवार्य रूप से नया जाति प्रमाण पत्र लाना होगा जो 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किया गया हो और साथ ही पुराना जाति/समुदाय प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया गया हो। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि से संबंधित जाति प्रमाण पत्र को **01.09.2024** को या उसके बाद जारी किए गए नए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में क्रॉस चेक किया जाएगा। यदि दोनों प्रमाणपत्रों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, बशर्ते कि उम्मीदवार भर्ती के पूरे चक्र के लिए लागू शर्तों को पूरा करता हो। उम्मीदवारों को सूचित करते हैं कि वे आगे की अपडेट के लिए नियमित रूप से आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें।

दिनांक: 26.02.2025

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड